

14-5-24

पंजावली पेशे उर्दू वकील पार्थी उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि० एडी से प्राप्त हुए जिले शा० घ० किये गये। विपक्षीगण को कितनी अर्तिया क्रु-क्रु कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके बिकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील पार्थी का शा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० घ० किया गया। पंजावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम है।



उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 53/24 प्रा.पत्र

1- सम्पत लाल 510961 हगन लाल शर्मा निवासी- बागौर तहसील-माण्डल

--प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती अंकिता केशरी दिनेश सांसी नि० आमली कालोनी बागौर तहसील-माण्डल [बागौर]  
(प्रहोक्ति 31-पत्रालय)

--विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमली कालोनी पटवार हल्का बागौर II तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 7512/6483 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.5059 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.4.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आमली कालोनी पटवार हल्का बागौर II तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7512/6483 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.5059 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुरखता जानकारि किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागौर को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

तिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल